N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0249 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/11/2024 18:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:27 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/11/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/11/2024 18:50:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY SANUKAT NIDESHAK, CHIKATISA AVAM SWASTHAY ZONE, DISTRICT JODHUPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHENDRA VISHNOIE

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PAPPARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHAWA, JHWAR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHAWA, JHAWAR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA BHARTI		पिता:SHYAM SUNDRA BHARTI	1. 100,BAUDHI SCHOOL KE PASS,TIRUPATI VIHAR,SHIKARGARH,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर विषयः- रिश्वत मागने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय के कर्म में मेरा निवेदन है कि मेरी एक फर्म बालाजी टूर एण्ड ट्रेवल्स विश्नोइया की ढाणी धवा के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी फर्म चिकित्सा विभाग जोधपूर अनूबंध पर वाहन उपलब्ध कराती है मेरी फर्म द्वारा गाड़ी न. RJ19TB0160 (स्वीफ्ट डिजायर (ND) कार्यालय सयूक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर में 3 माह के लिए माह जूलाई, अगस्त, सित. 2024 के लिए मेरी फर्म कि न्यूनतम दर होने से अनूबंध पर लगाई गई थी जो बाहन मेरे रिस्तेदार सूनिल पूनमचन्द विश्नोई के नाम है मगर उक्त वाहन चलाना वह अन्य समस्त कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है मेरी फर्म के उक्त वाहन की दर विभाग द्वारा 2200 KM प्रति माह चलने पर 36000 रू. देना तय किया गया है। इससे ज्यादा चलने पर 10 रू. प्रति कीमि. देना तय किया गया है मगर माह में 2200 KM से कम चलने पर भी तय की गई राशि 36000 रू. भी देना आवश्यक है। विभाग द्वारा तय किया गया किराया माह जूलाई, अगस्त 2024 का प्राप्त करने के लिए श्री नरेन्द्र भारती स्टोर से मैं मिला तो उन्होनें उपरोक्त दोनों माह के किराये मे से 2 TDS काटकर 70560 रू का चेक मूझे दिया एव कहा कि आपका पेमेन्ट बड़ी मुश्किल से बनाया है 5000 रू. मूझे देने होगें। तब मेने श्री नरेन्द्र भारती को आषवासन दिया कि मैं आपको 5000 रू. दे दूगा। तत्पस्चात माह सितम्बर 2024 मे मेरा मेरा स्वय का वाहन इरटिका न. RJ19TB0602 विभाग को उपलब्ध कराया गया था। माह सितम्बर 2024 में मेरा वाहन विभाग के अनूबन्ध के अनूचार उनके अधीन रह कर चला। आज से करिब 10 दिन पूर्व मे मेरे उक्त वाहन के किराये का भूकतान करवाने हेतू पहले की भाति श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इन्चार्ज से उनके कार्यलय में जाकर मिला तो उन्होनें पूर्व में मेरे वाहन का किये गये भूगतान कि ऐवज मे 5000 रू. रिश्वत कि माग कि तथा पूर्व के 5000 रू. रिश्वत के देने पर ही में आपका माह सितम्बर 2024 के भूगतान का बिल बनवाउगा तथा साथ हि कहा कि आपका वाहन माह सितम्बर 2024 बहूत कम चला है इसलिए बिल बनवाने मे दिक्कत आयेगी आप यदि पूर्व के भूगतान के ऐवज में 20,000 रू. देते हो तो हि मै आपका बिल बनवाउगा जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर पूर्व के 5000 रू बिल बानाने के पूर्व पर ही देने पर बिल बनाने के लिए राजि हूआ माह सितम्बर का बिल की राशि का भूगतान होने पर 20,000 रू देने हेतू कहा है इस प्रकार श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इनचार्ज मेरे वाहन का माह सितम्बर बिल बनवाकर भूगतान करवाने के ऐवज मे एवम पूर्व मे किये गये भूगतान के ऐवज मे 5000 रू रिश्वत के तोर पर अभि माग रहा है। मै श्री नरेन्द्र भारती को 5000 रू रिस्वत राशि नहि देकर उन्हे रिश्वत लेते हूए रगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ मेरी श्री नरेन्द्र भारती से कोई दूश्मनी नहीं है नही कोई लेन देन है। दिनांक- 24/10/2024 भवदीय एसडी/- महैन्द्र विश्नोई पुत्र श्री पप्पाराम जी जाति विश्नोई उम्र 29 वर्ष पूलिस था. झवर जिला जोधपुर मो.न. [redacted] निवासी- धवा, जिला- जोधपुर एस.डी. अजय गहलोत एस.डी गोरधनराम एस.डी. ओमप्रकाश चौधरी 25.10.2024 24.10.2024 एस.डी. ओमप्रकाश 25.10.2024 एस.डी. सुरेन्द्रसिंह 05.11.2024 कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.10.2024 समय 02.00 पी.एम. इस समय परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री पप्पाराम निवासी सिनली रोड़ धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि श्री नरेन्द्र भारती कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर में स्टोर इन्चार्ज है तथा मेरे उपरोक्त अनुबंध पर लगाये गये वाहन का भूगतान करवाने का कार्य पूर्व में माह जुलाई, अगस्त 2024 का उन्हीं के द्वारा किया जाकर भूगतान का चेक श्री नरेन्द्र द्वारा ही विभाग से बनवाया जा रहा हैं जिस पर मेरा भूगतान 70560 रूपये मेरी फर्म के खातें में जमा हुआ। उक्त माह के करवाये गये भूगतान एवं माह सितम्बर 2024 के बिल बनवाकर भूगतान बनावाने कि एवज में श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इन्चार्ज 5000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उन्हें अपने जायज काम की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता एवं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं साथ ही अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से प्रथम दृष्टाया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया एवं परिवादी महेन्द्र बिश्नोई को संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी करने हेतु हिदायत करने पर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से संदिग्ध

कर्मचारी की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री नरेन्द्र भारती आज अपने कार्यालय में नहीं होकर कहीं टे°निंग में व्यस्त है, इसलिए रिश्वती राशि मांग की वार्ता संभव नहीं है । जिस पर अग्रीम कार्यवाही कल दिनांक 25.10.2024 को किये जाने का निर्णय लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 25.10.2024 को अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यालय में मन् श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस एसीबी इन्टें. जोधपुर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर, बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादी व मेरा उप अधीक्षक पुलिस का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चयात परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस हमरा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई उनकी रिपोर्ट साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्य ही बताये साथ ही बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री नरेन्द्र भारती आज अपने कार्यालय में नहीं होकर कहीं टे°निंग में व्यस्त है, इसलिए रिश्वती राशि मांग की रूबरू वार्ता करना आज संभव नहीं है। जिस पर अग्रीम कार्यवाही कल दिनं०ाक 25.10.2024 को किये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई को गोपनीयता की हिदायत देकर कल दिनांक 25.10.2024 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद कर रूखसत किया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं दस्तावेज को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखकर लाक किया गया। दिनांक 25.10.2024 वक्त 10.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 की उपस्थिति प्राप्त कर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा कानि. प्रकाश व परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई का परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पश्चयात ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर (डीवीआर) मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर की संचालन विधि परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई व कानि. प्रकाश को समझाईस की गई तथा नया मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिष्चित कर कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर कानि. प्रकाश को सुपुर्द कर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई एवं कानि. प्रकाश को आवश्यक हिदायत कर संदिग्ध कर्मचारी श्री नरेन्द्र भारती से रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने हेतु संदिग्ध कर्मचारी के झालामण्ड जोधपुर स्थित कार्यालय के लिए रवाना किया। कुछ समय पच्यात कानि. प्रकाश व परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ब्यूरो कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये तथा कानि. प्रकाश द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व कानि. प्रकाश कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड साथ लेकर अपने निजी वाहन से झालामण्ड जोधपुर स्थित कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर के परिसर में पहुचें जहां पर वाहन को कार्यालय के पार्किंग में खड़ा करवाकर श्री प्रकाश कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर साथ लाये कार्यालय का डीवीआर मय मेमौरी कार्ड के चालू कर मुझे सुपुर्द किया एवं संदिग्ध कर्मचारी श्री नरेन्द्र भारती से वार्ता करने हेतु उनके कार्यालय की तरफ रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इन्चार्ज के कार्यालय कक्ष में पहुचां जहां पर श्री नरेन्द्र भारती उपस्थित मिला जिन्होने मेरे से पूर्व के बिलों के भूगतान की वार्ता करते हुए माह सितम्बर 2024 का बिल बनाने से पूर्व माह जुलाई, अगस्त 2024 के बिलों का करवाये गये भुगतान की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा माह सितम्बर 2024 का निर्धारित दर के अनुसार 36,000 रूपये भुगतान करवाने के पच्यात 20,000 रूपये और देने हेतु कहा उक्त वार्ता डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई तत्पश्चयात मैं वहां से रवाना होकर श्री प्रकाश कानि. के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया एवं डीवीआर सुपुर्द किया जिन्होने डीवीआर को स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा उक्त हालात मै०नं० कानि. प्रकाश को बताये तत्पश्चयात हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके पास उपस्थित आये जिस पर कानि. प्रकाश ने भी परिवादी के तथ्यों को ताईद की। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को ऑन कर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त बाताये तथ्यों की ताईद होकर संदिग्ध कर्मचारी द्वारा परिवादी से उनका भुगतान करवाने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत मांगने की पुश्टि हुई। जिस पर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही आज ही प्रस्तावित की जाकर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि राशि मेरे पास उपलब्ध है जिस पर श्री देवाराम कानि. 373 को जरिये तेहरीर वास्ते गवाह लेने हेतु श्रीमान सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्काम जोधपुर के कार्यालय के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। कुछ समय पच्यात सहायक अभियंता कार्यालय से दो कार्मिक लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर दोनों कार्मिको को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त दोनो कार्मिको का परिचय पूछा तो उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री अजय गहलोत पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत जाति माली उम्र 29 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 3 पी 44 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्काम, जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री रूड़ाराम उम्र 36 वर्ष जाति यादव पेषा नौकरी निवासी गांव नारायणपुर तहसील थाना गाजी जिला अलवर हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 (सर्किट हाउस) जोधपुर डिस्काम, जोधपुर राजस्थान मोबाईल नम्बर

[redacted] होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनों गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई का आपस में परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनो कार्मिको पढ़ाई गई तथा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें परिवादी तथा आरोपी के मध्य आज दिनांक 25.10.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंषों को उपस्थित गवाहान को सुनाया गया। दोनों कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर एवम रिकार्ड वार्ता मुख्य-मुख्य अंषो को सुनकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी एवम परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉइस रिकार्डर मे लगा मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी की वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यपान हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में डिजिटल वॉइस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी में रखा जाकर लॉग किया गया। तत्पश्चयात दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से आरोपी श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इन्चार्ज को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेशा करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपयें के 10 नोट कुल राशि 5000/-रूपये पेशा किये। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 1. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 KT 739469 2. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 HD 901800 3. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 EA 315325 4. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 DN 026683 5. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 GR 286990 6. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 FF 692342 7. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 FW 322829 8. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 EG 115890 9. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 EB 815185 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 BP 880569 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 5000/-रूपये के नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की जामा तलाशी गवाह श्री अजय गहलोत से लिरवाई जाकर परिवादी के मोबाईल फोन व उनके निजी वाहन की चाबी के अलावा अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि उसके पास नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5,000/-रूपये जो श्री नरेन्द्र भारती स्टोर कीपर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के पहनी हुई लोवर की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि लोवर की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे। अगर अभिवादन की जरूरत पडे़ तो दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें, आरोपी से हाथ नहीं मिलावें। ट्रैप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] कर या मिस कॉल कर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने ईषारा करें। तत्पष्चात् एक काच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों व अगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशि को, पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त की गई कार्यवाही की श्री शेलेश कुमार कानि. 257 के मोबईल से विडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चयात परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई को अपने स्तर पर गोपनीय रूप से संदिग्ध कर्मचारी की उपस्थिति के बारे में जानकारी करने हेतु निर्देषित करने पर श्री महेन्द्र बिश्नोई ने गोपनीय रूप से संदिग्ध कर्मचारी की जानकारी कर बताया कि श्री नरेन्द्र भारती स्टोर इन्चार्ज कार्यालय में उपस्थित नहीं है तथा कार्यालय से निकल चुका है परिवादी ने बताया कि संदिग्ध कर्मचारी से फोन पर वार्ता करने पर षक हो सकता है तथा वह अमूमन मेरे से कार्यालय में ही मिलता है तथा दिनांक 26.10.2024 व 27.10.2024 को कार्यालय

अवकाष होने के कारण वह कार्यालय में नहीं मिलेगा तथा अब अग्रीम कार्यवाही सोमवार दिनांक 28.10.2024 को ही हो सकती है जिस पर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही दिनांक 28.10.2024 को किया जाने का निर्णय लिया गया तत्पश्चयात परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के पहने हुए लोवर की आगे की दाहिनी जेब में रखवाई गई रिश्वती राशि 5000 रूपये गवाह श्री अजय गहलोत से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई गई एवं उक्त रिश्वती राशि रखे लिफाफे को एवं डीवीआर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक किया गया तथा चाबी अपने पास रखी गई। ताबाद गोपनीयता की हिदायत देकर गवाह व परिवादी को दिनांक 28.10.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। दिनांक 28.10.2024 वक्त 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई एवं गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री ओमप्रकाश यादव कार्यालय हाजा उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान अपने पास अलमारी में सुरक्षित रखे रिश्वती राशि के लिफाफे को गवाह श्री अजय गहलोत से निकलवाकर उसमें रखी राशि को निकलवाई गई। उक्त निकलवाई गई रिश्वती राशि 5000 रूपये के नोटों को उपर नीचे करवाकर परिवादी के पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई एवं गवाह श्री अजय गहलोत से रिश्वती राशि रखा खाली लिफाफा जलाकर नश्ट करवाया गया एवं श्री अजय गहलोत के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चयात अग्रीम कार्यवाही का निर्णय लिया गया। दिनांक 28.10.2024 वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री ओमप्रकाश यादव परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री प्रकाश कानि. श्री षैलेष कुमार कानि, श्री कालूराम कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाॅप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर के लिए रवाना होकर कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के पास पहुचां एवं परिवादी से आरोपी की उपस्थित के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी करवाने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री नरेन्द्र भारती अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है। जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाने पर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती द्वारा परिवादी को भाटी चैराहे के पास बिश्नोई धर्मषाला के सामने बुलाया है। जिस पर आरोपी का रास्ते में मिलने की संभावना होने के कारण मन उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड का स्वीच ऑन कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चयात मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के वहां से सरकारी व निजी वाहन के भाटी चैराहा जोधपुर के लिए रवाना होकर वक्त 12०:05 पी.एम. पर भाटी चैराहे पहले सेनापति भवन चैराहे पर पहुचां। जहां पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से अपने मोबाईल द्वारा आरोपी की उपस्थिति जानने के बारे कहने पर परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी की उपस्थिति के बारे में पूछा तो आरोपी द्वारा परिवादी की ही उपस्थिति पूछी गई जिस पर परिवादी ने अपनी उपस्थिति सेनापति भवन चैराहे पर होना बताया जिस पर आरोपी ने कहा कि मैं वहीं आ रहा हूँ । जिस पर परिवादी को अपने वाहन सहित वहीं खड़ा कर आवश्यक हिदायत के साथ छोड़ा गया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के अपनी-अपनी पाॅजीषन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इंतजार किया। कुछ समय पच्चात एक व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर हेलमेट पहने हुए परिवादी की गाड़ी के पास आकर रूका एवं परिवादी से मिला एवं कुछ समय वार्ता करने के पच्चात वहां से अपनी मोटरसाईकिल के साथ रवाना हो गया। वक्त 12.15 पी.एम. पर परिवादी बिना कोई ईशारे किये मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया एवं पूर्व में दिया गया डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे पास मोटरसाईकिल लेकर आया व्यक्ति ही, श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक था जिसने मेरे भुगतान के संबंध में वार्ता कर कहा कि यहां भीड़-भाड़ ज्यादा है और मेरा मन भी नहीं मान रहा है इसलिए मैं पैसे नहीं लूगां आईन्दा तुम्हें बता दूगां। इस प्रकार रिश्वती राशि का आदान-प्रदान नहीं हो सका। जिस पर आईन्दा अग्रीम ट्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर समस्त हमरायान एवं परिवादी के उनके निजी वाहन एवं सरकारी वाहन से कार्यालय के लिए रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुचा। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के पहनी हुई लोवर की बायीं जेब में रखवाई गई रिश्वती राशि 5000 रूपये गवाह श्री अजय गहलोत से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई जाकर अपनी अलमारी में सुरक्षित रखी गई। साथ ही डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता रिकार्ड है को डीवीआर से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी में रखा गया। वक्त 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई व आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 25.10.2024 को हुई वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड जो एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित मन उप अधीक्षक पुलिस की अलमारी में रखा गया है को निकालकर डीवीआर में लगाकर डीवीआर को श्री देवाराम कानि. 373 से कार्यालय के कम्प्यूटर से जुड़वाकर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू कम्प्यूटर में लगे स्पीकर की मदद से सुन-सुन रिकॉर्डिंग वार्तालाप की अक्षरषः फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन तैयार की गई। परिवादी द्वारा स्वयं की एवं आरोपी श्री नरेन्द्र भारती की आवाज की

पहचान की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडियां तैयार की गई। मूल मेमौरी कार्ड को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सीडियों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड की थैली एवं दोनो डब सीडियां खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई द्वारा बताया गया कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य है, जिस पर वक्त लेन-देन पूर्व रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट कल दिनांक 29.10.2024 को बनाई जाने का निर्णय लेकर डीवीआर को मन उप अधीक्षक पुलिस को अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 29.10.2024 को वक्त 01.45 पी.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी कार्यालय हाजा उपस्थित आये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई व आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व दिनांक 28.10.2024 को हुई वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड जो एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित मन उप अधीक्षक पुलिस की अलमारी में रखा गया है को निकालकर डीवीआर में लगाकर डीवीआर को श्री देवाराम कानि. 373 से कार्यालय के कम्प्यूटर से जुड़वाकर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू कम्प्यूटर में लगे स्पीकर की मदद से सुन-सुन रिकॉर्डिंग वार्तालाप की अक्षरश फर्द रिश्वती राशि लेन-देन की पूर्व वार्ता ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। परिवादी द्वारा स्वयं की एवं आरोपी श्री नरेन्द्र भारती की आवाज की पहचान की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडियां तैयार की गई। मूल मेमौरी कार्ड को रूबरू गवाहान एक कपडे की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सीडियों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड दोनों डब सीडियों को खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई को हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरंत मन उप अधीक्षक पुलिस को सुचित करावें तत्पश्चयात परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 05.11.2024 वक्त 1130 ए.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई कार्यालय हाजा में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि मेरी दीपावली से एक दिन पूर्व आरोपी श्री नरेन्द्र भारती से जरिये मोबाईल फोन पर वार्ता हुई वार्ता के दौरान श्री नरेन्द्र भारती ने मुझे सोमवार/मंगलवार को कार्यालय में बुलाया है तथा आज वह मेरे से रिश्वती राशि लेगा। जिस पर जरिये फोन दोनों स्वतंत्र गवाहान से सम्पर्क करने पर गवाह श्री ओमप्रकाश यादव ने बताया कि मैं आकस्मिक अवकाष में होकर अपने गांव आया हुआ हूं जिस पर सहायक अभियंता डिस्कॉम ए-3 से सम्पर्क कर पूर्व के गवाह श्री अजय गहलोत एवं एक अन्य कार्मिक को इस कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन पर उनके द्वारा श्री अजय गहलोत तकनिशियन हमरा एक अन्य व्यक्ति के कार्यालय हाजा में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया जिस पर साथ आये कार्मिक को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 343 रामनगर नांदडी़ पुलिस थाना बनाड़ जिला जोधपुर हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर राजस्थान मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। जिस पर श्री सुरेन्द्र सिंह तकनिशियन को परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की रिपोर्ट को पढ़ाया गया एवं मालखाना प्रभारी से वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की डब सीडी को निकलवाकर कम्प्यूटर के माध्यम से उक्त डब सीडी में रिश्वती राशि मांग की रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश श्री सुरेन्द्र सिहं गवाह को सुनाया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं वार्ता के अंश सुनकर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी गई। ताबाद डब सीडी को पुनः मालखाना प्रभारी को सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाई गई। ताबाद मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अपनी अलमारी में एक सफेद लिफाफे में रखी गई रिश्वती राशि 5000 रूपये महिला कानि. श्रीमती सुशीला से निकलवाकर पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी को गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को दी जाकर श्रीमती सुशीला महिला कानि. द्वारा नोटों के नम्बरों का अवलोकन गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को करवाया गया ताबाद नोटों के नम्बर महिला कानि. से बुलवाये जाकर गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को दी गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तथा नोटों को उपर नीचे करवाकर गवाह महिला कानि. से ही परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की पहनी हुई जिन्स की आगे की दाहिनी जेंब में रखवाये गये एवं परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चयात एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट घोल तैयार कर श्रीमती सुशीला महिला कानि. का विधिवत हाथ धोवन करवाया जाकर दृष्टान्त दिलवाया गया एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफथलीन पाउडर की क्रिया प्रतिक्रया गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह को समझाईस की जाकर पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी पर गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चयात एक नया मैमोरी कार्ड कार्यालय के डीवीआर में लगवाया गया। तत्पश्चयात वक्त 1240 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री सुरेन्द्र सिंह परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई हमरा ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री देवाराम कानि., श्री प्रकाश कानि., श्री रामचन्द्रसिंह कानि, श्री कालूराम कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड व

अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर के लिए रवाना होकर वक्त 0100 पी.एम. पर कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर के पास पहुचां एवं परिवादी से आरोपी के बारे में गोपनीय जानकारी करवाने पर परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय जानकारी कर बताया कि आरोपी कार्यालय में उपस्थित है। जिस पर वक्त 0106 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहन परिवादी को आवश्यक हिदयात कर गोपनीय ईशारे के बारे में पुनः बताकर कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी के ऑन कर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई को सुपुर्द कर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती से मिलने एवं रिश्वती राशि का आदान-प्रदान करने हेतु रवाना किया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर के भीतर एवं आस-पास मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार अपनी-अपनी पोजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इंतजार किया। वक्त 0127 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री पप्पाराम उम्र 29 वर्ष निवासी सिनली रोड़ धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर के मुख्य द्वार पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया जिस पर मन गोरधनराम, उप अधीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबीर एवं ब्यूरो जाप्ते के कार्यालय के मुख्य द्वार पर परिवादी के पास पहुचां एवं उन्हे पूर्व में दिया गया कार्यालय का डीवीआर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के कार्यालय कक्ष की तरफ रवाना हुआ मगर मुख्य द्वार के अन्दर घुसते ही एक व्यक्ति लाईट ब्ल्यू कलर की टी शर्ट एवं ग्रे कलर की पेंट पहने हुए खडा मिला जिसकी तरफ परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने ईशारा कर बताया कि यही श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक है जिन्होने अभी-अभी मेरे से अपने कार्यालय कक्ष में 5000/- रूपये रिश्वती मांगकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है जिस पर उस व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस हमारा दोनों स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम नरेन्द्र भारती पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारती जाति गोस्वामी (भारती) उम्र 52 वर्ष निवासी 100 निरूपति विहार शिकारगढ़ बौधी स्कूल के पास हाल वरिष्ठ सहायक (भण्डारपाल) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर होना बताया जिस पर श्री नरेन्द्र भारती को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आने के मन्व्य से अवगत करवाकर पास ही खडे परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की ओर ईशारा कर उसे पहचानने तथा उससे कोई राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो श्री नरेन्द्र भारती ने कहा कि मैं इसे जानता हूं यह श्री महेन्द्र बिश्नोई है जिसकी एक गाड़ी हमारे कार्यालय में अनुबंध पर लगा रखी है। अभी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने अपनी गाड़ी के किराये का बिल बनाने की एवज में 5000 रूपये दिये जो मैनें मेरी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थित ब्यूरो जाप्ते श्री रामचन्द्र सिंह कानि. एवं श्री देवाराम कानि. से आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उनके कार्यालय कक्ष में पहुचां तथा कार्यालय अधीक्षक श्री गोपाल सिंह भाटी से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 5000 रूपये के बारे स्पष्टीकरण पूछने पर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती ने बताया कि श्री महेन्द्र बिश्नोई ने अपनी गाड़ी के बिल के भुगतान करवाने की एवज में अपनी मर्जी से राशि दी है, उक्त कार्यवाही की मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी करवाई गई तत्पश्चात श्री नरेन्द्र भारती को कार्यालय के कक्ष में ले जाकर अग्रीम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी की हाथ धोवन की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रैप बॉक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चयात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अजय गहलोत से लिरवाने पर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे श्री अजय गहलोत से गिनवाने पर कुल राशि 5000/-रूपये होना पाई गई। गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह तकनिशियन को पूर्व से मुर्तिब की गई

फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 5000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी में ही उनकी पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में एक पर्स के साथ 500-500 रूपये का एक बन्डल मिला जिसको गवाह श्री अजय गहलोत से गिनवाने पर 15000 रूपये एवं पर्स में रखे 500-500 रूपये के 06 नोट, 200 रूपये का 01 नोट, 100-100 रूपये के 06 नोट, 50 रूपये का 01 नोट, 20-20 रूपये के 05 नोट और 10-10 रूपये के 05 नोट कुल राशि 4,000 रूपये इस प्रकार जामा तलाशी में रिश्वती राशि के अलावा अन्य कुल राशि 19,000 रूपये होना पायी गई उक्त राशि के बारे में श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक से पूछने पर नरेन्द्र भारती ने बताया कि 19,000 रूपये मेरे घर पर खर्ची के लिए रखे हुए थे जो मेरे अंकल जी का देहान्त हो जाने पर उनके पीछे होने वाले खर्च के लिए साथ लेकर आया था क्योंकि उनके पीछे सामाजिक रीति रिवाज कार्यक्रम करने वाला कोई नहीं है। आरोपी का उक्त जवाब संतोषप्रद होने पर उक्त राशि 19,000 रूपये पुनः उन्हें मय पर्स के लौटाई गई। जामा तलाशी में पर्स में रखा उसका विभागीय परिचय पत्र मिला जिसकी कार्यालय में ही फोटो प्रति करवाई जाकर स्व प्रमाणित एवं संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फर्द किया गया एवं मूल परिचय पत्र श्री नरेन्द्र भारती को लौटाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से प्राप्त की गई रिश्वती राशि के बारे पुनः स्पष्टीकरण पूछने पर श्री नरेन्द्र भारती ने बताया कि श्री महेन्द्र बिश्नोई की फर्म बालाजी टूर एवं ट्रैवल्स की एक गाड़ी नम्बर आरजे 19 टीबी 0160 स्वीफ्ट डिजायर माह जुलाई, अगस्त 2024 में अनुबंध पर लगी हुई थी जिसका विभाग द्वारा 2200 किलोमीटर प्रतिमाह चलने पर 36,000 रूपये प्रति माह देना तय किया गया। उक्त दोनों माह की लॉग बुक श्री महेन्द्र बिश्नोई द्वारा भरकर बिल बनाकर संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर करवाकर लेखा शाखा से पास करवाने हेतु मुझे सुपुर्द किये थे। जिस पर मैनें श्री कमलेश चौधरी संयुक्त निदेशक से बिलो पर स्वीकृति प्राप्त कर लेखा शाखा में प्रस्तुत करने पर लेखा शाखा द्वारा 2 फीसदी टीडीएस काटकर शेष राशि का चैक तैयार करने पर मेरे द्वारा उक्त चैकों पर संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर करवाकर श्री महेन्द्र बिश्नोई को सुपुर्द कर प्राप्ति प्राप्त की गई। मैं वर्तमान में भण्डार पाल के पद पर कार्यरत होने के कारण कार्यालय द्वारा खरीद एवं निविदा पर लगे वाहनों आदि का भुगतान करवाने के लिए संबंधित फर्म से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर भुगतान करवाने की जिम्मेवारी मेरी होती है इसलिए मैनें श्री महेन्द्र बिश्नोई की फर्म का भुगतान भी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करवाकर करवाया था। जिसके पेटै श्री महेन्द्र बिश्नोई अपनी मर्जी से मुझे 5000 रूपये इनाम के तौर मुझे दिये है जो मैनंे प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। श्री महेन्द्र बिश्नोई की फर्म के द्वारा माह सितम्बर 2024 में अपना वाहन इरिटिगा नम्बर आरजे 19 टीबी 0602 अनुबंध के अनुसार विभाग को उपलब्ध करवा रखा था जिसका भुगतान 36,000 रूपये किया जाना शेष है। जिस पर पास ही खडे़ परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ने आरोपी श्री नरेन्द्र भारती के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र भारती झूठ बोल रहे हैं इन्होनें मेरे वाहन के अनुबंध के अनुसार पूर्व का दो माह जुलाई, अगस्त 2024 का भुगतान करवाया था जिसके पेटै 5000 रूपये बतौर रिश्वत का मांग कर रहा था तथा उक्त रिश्वती राशि देने पर ही माह सितम्बर 2024 का पेंडिग बिल की राशि का भुगतान करवाने हेतु अग्रीम कार्यवाही करेगा तथा भुगतान करने से पूर्व 20,000 रूपये और देने पर ही माह सितम्बर 2024 का भुगतान करवायेगा। जिस पर आज मेरे से मेरे पूर्व के माह जुलाई, अगस्त 2024 का भुगतान करवाने व माह सितम्बर 2024 का भुगतान करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की एवज में मांगकर 5000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये है जो अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। आरोपी से परिवादी के कथनों के बारे में पुनः पूछने पर चुप रहकर निरूत्तर रहा। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेन्द्र भारती के पहनने के लिए एक लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रैप बॉक्स से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी की पहनी पेंट की आगे की बायीं जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त पेंट की जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे़ की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के अनुबंध पर लगे वाहन की लॉगबुक व माह सितम्बर 2024 का बिल आदि दस्तावेज के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि श्री महेन्द्र बिश्नोई की फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन की लॉगबुक व बिल माह सितम्बर 2024 का महेन्द्र द्वारा ही मुझे उपलब्ध करवाया गये थे, जो मेरे कार्यालय कक्ष में रखे हुए है। जिस पर उक्त दस्तावेज जब्त करने हेतु कार्यालय कक्ष की

खाना तलाशी ली जाने का निर्णय लिया गया एवं समस्त कार्यवाही फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चयात वक्त 0415 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो जाने श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री कालूराम कानि, को ट्रैप कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श, जप्त रिश्वती राशि एवं ट्रैप बॉक्स व अन्य सामग्री को सुरक्षित संभलाया जाकर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती व दोनों स्वतंत्र गवाहान को हमरा लेकर मय जाने के आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक (भण्डारपाल) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर में स्थित में भण्डारपाल कार्यालय कक्ष में पहुचां एवं उपरोक्त समस्त के रूबरान कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं रूबरू गवाहान वक्त 0500 पी. एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चयात वक्त 0540 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नरेन्द्र भारती पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम सुन्दर भारती जाति गोस्वामी उम्र 52 वर्ष निवासी 100 तिरूपति विहार शिकारगढ़ बौधी स्कूल के पास जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक (भण्डारपाल) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चयात वक्त 0550 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री हरिपालसिंह वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर को कार्मिक भेजकर कार्यवाही स्थल पर बुलाया गया एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की फर्म बालाजी टूर एण्ड ट्रैवल्स को माह जुलाई, अगस्त 2024 के किये गये भुगतान से संबंधित दस्तावेज एवं माह सितम्बर 2024 के षेश रहे भुगतान से संबंधित दस्तावेज के बारे में पूछताछ करने पर उन्होनें उक्त फर्म की पत्रावली मंगवाकर पेशा की जिसका अवलोकन करने पर माह जुलाई, अगस्त 2024 का भुगतान करने बाबत आरोपी श्री नरेन्द्र भारती भण्डारपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर से लेखाषाखा के नाम पत्र जारी कर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के उक्त दोनों माह के बिल राशि 72,000 रूपये के दिनांक 02.09.2024 को भेजने का पत्र एवं उक्त फर्म को माह सितम्बर 2024 दिनांक 30.09.2024 तक अनुमोदन की स्वीकृति उक्त दोनों माह के बिलों एवं लॉगबुकों की फोटो प्रतियां एवं संयुक्त निदेशक द्वारा उक्त दोनो माह का भुगतान हेतु चैक तैयार कर फर्म के नाम जारी पत्र होना पाया गया। जिस पर श्री हरिपालसिंह वरिष्ठ लेखाधिकारी को उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया जिस कार्यालय में ही स्वतंत्र गवाह श्री अजय गहलोत के सामने ही फोटो प्रति करवाई जाकर प्रमाणित कर उपलब्ध करवाई गई जिस पत्रावली को क्रम संख्या 01 से 12 तक पृष्ठठाकिंत करवाकर प्रथम पृश्ठ एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ततपच्यात वक्त 06०:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं ट्रैप बॉक्स, लेपटाप प्रिन्टर, डीवीआर को साथ लेकर मय सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई के निजी वाहन से ब्यूरो चैकी एसीबी एसयू जोधपुर के लिए रवाना होकर एसीबी एसयू जोधपुर के कार्यालय में पहुंचा एवं कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों के धोवन की चार शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 01, आर.एच. 02 तथा एल.एच. 01 व एल.एच. 02 रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पेंट की आगे की बायीं जेब का लिया गया धोवन शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-01, पी-02 तथा पैंट का कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट बरामदा रिश्वती राशि 5000 रूपये जो कोने से कपडे़ में शील्ड चिट शुदा को मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को सुरक्षित हालत में संभलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखकर लॉग किया गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 06.11.2024 को प्रातः 0800 ए. एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.11.2024 प्रातः पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री अजय गहलोत व श्री सुरेन्द्र सिंह ब्यूरो चैकी पर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई ब्यूरो चैकी पर उपस्थित आया जिस पर वक्त 0945 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 05.11.2024 को वक्त रिश्वती राशि लेन-देन परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई व आरोपी श्री नरेन्द्र भारती के मध्य हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड है को अलमारी से निकालकर परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई व स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से डीवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जुड़वाकर कम्प्यूटर में लगे स्पीकर के माध्यम से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन, समझकर अक्षरश हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक की होना परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई द्वारा की गई। उक्त डीवीआर से दो सीडीयां तैयार की जाकर दोनो सीडीयों को डब मानते हुए खुली हालात में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे़ की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद उक्त शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड दोनों डब सीडीयों जो खुली हालत में को मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त लेन-देन से पूर्व तथा वक्त लेन-देन की वार्ता तथा परिवादी श्री महेन्द्र बिश्नोई से

वक्त टेªप कार्यवाही आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा अनुबंध पर लगाये गये वाहन का माह जुलाई, अगस्त 2024 का किये गये भुगतान तथा माह सितम्बर 2024 का भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने की एवज में 5000 रूपये बतौर रिश्वत मांगकर, प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखना जहां से ब्यूरो द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान बरामद करना एवं आरोपी के हाथों एवं रिष्वती राशि बरामदगी स्थल पेंट की जेब का धोवन क्रमश मटमैला व गहरा गुलाबी आना तथा परिवादी के पेंडिग कार्य से संबंधित पत्रावली व वाहन की लागबुक आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक (भण्डारपाल) के कार्यालय कक्ष से रूबरू गवाहान बरामद होना एवं लेखाशाखा से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार आरोपी श्री नरेन्द्र भारती भण्डारपालक होने के नाते मोबिलिटी फण्ड के समस्त कार्यों के साथ ही परिवादी की फर्म का भुगतान भण्डारपालक के हैसियत से संबंधित फर्म से दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर संयुक्त निदेशक से स्वीकृति करवाकर लेखा शाखा को बिल अपने हस्ताक्षर से भिजवाने पर लेखा शाखा द्वारा चैक तैयार कर भुगतान किया गया जाना आदि आपराधिक कृत्य कारित कर आरोपी श्री नरेन्द्र भारती वरिष्ठ सहायक (भण्डारपाल) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर ने अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया है। अतः श्री नरेन्द्र भारती पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर भारती जाति गोस्वामी उम्र 52 वर्ष पेषा नौकरी निवासी 100 तिरूपति विहार शिकारगढ़ बौधी स्कूल के पास जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय, (गोरधनराम) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोरधनराम, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री नरेन्द्र भारती पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर भारती जाति गोस्वामी उम्र 52 वर्ष पेषा नौकरी निवासी 100 तिरूपति विहार शिकारगढ़ बौधी स्कूल के पास जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह चारण, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर शहर, जोधपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 44 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1361-64 दिनांक 06-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-निदेशक,(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[redacted]/2024 1[redacted]0

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/08/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)